(05)

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

16-04-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–473/2012 में आवेदक **श्री अजय कुमार जगनानी**, पिता–श्री शिव कुमार जगनानी, सा0–703, सूर्य बिहार अपार्टमेंट, एक्जीविशन रोड, थाना–गाँधी मैदान, जिला–पटना से प्राप्त एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे आयरन एवं स्टील के सप्लायर हैं। वे लगभग 12 लाख रूपया सालाना टैक्स देते हैं। पूर्व में उनके चाचा की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गयी थी। उनके द्वारा जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक–14/गो0, दिनांक–03.01.2013 से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उक्त प्रतिवेदन के साथ आवेदक के एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र पर पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, गाँधी मैदान, पटना का जाँच प्रतिवेदन संलग्न किया गया है। थानाध्यक्ष, गाँधी मैदान, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के चाचा स्व0 काशी प्रसाद जगनानी की हत्या दि0–03.11.1992 को कर दी गयी थी, उनके नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–01/80 पर एक डी0बी0बी0एल0 गन धारित था, जिसे अनुज्ञप्तिधारी के मरणोपरान्त शस्त्र दूकान में जमा कर दिया गया था। आवेदक के जान–माल की सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया। साथ हीं पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/

(06)

2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री अजय कुमार जगनानी,** पिता–श्री शिव कुमार जगनानी, सा0–703, सूर्य बिहार अपार्टमेंट, एक्जीविशन रोड, थाना–गाँधी मैदान, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री जगनानी को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

D:\RANJIT KUMAR\Arms Branch\S.D.C. Letter\Arms Licence Order (ACCEPT).doc